

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
[पंचदश-सत्र]

सोमवार, तिथि- 21 जनवरी, 2019 (इ०)
01 माघ, 1940 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-10:30 बजे पूर्वाह्न)

(01)- दिनांक-19 जनवरी, 2019 के लिए निर्धारित अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

प्रश्नोत्तर

(11:00 बजे पूर्वाह्न)

(02)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना। (यदि हो)

(03)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(04)- मुख्यमंत्री प्रश्नकाल।

(05)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य

(06)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-18.01.2019 से स्थगित)

(07)- श्री सुखदेव भगत, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-18.01.2019 से स्थगित)

(08)- श्री मनोज कुमार यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(09)- श्रीमती बिमला प्रधान, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(10)- श्री अशोक कुमार एवं श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग)की ओर से वक्तव्य।

- (11)- सर्वश्री रबीन्द्रनाथ महतो, जगरनाथ महतो एवं श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (12)- सर्वश्री भानु प्रताप शाही, प्रकाश राम एवं श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

समितियों का गठन

- (13)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन। (यदि हो)

--: सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

- (14)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना। (यदि हो)
- (15)- याचिकाओं का उपस्थापन। (यदि हो)

--: वित्तीय-कार्य :-

- (16)- संसदीय कार्य मंत्री द्वारा झारखण्ड के 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति का सदन पटल पर उपस्थापन।
- (17)- वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।
{ कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है }

--: विधायी-कार्य :-

राजकीय(वित्त)विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2019

- (18)- मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2019" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (19)- मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (20)- मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2019" पर विचार हो।
- (21)- मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2019" स्वीकृत हो।
- (22)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य। (यदि हो)

महेन्द्र प्रसाद

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची

कृ०पृ०३०/—

